छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण

प्रलिम्सि के लयि:

छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण, छावनी क्षेत्रों की ब्रटिशि-युग की अवधारणा, छावनी अधनियिम, 1924, छावनी अधनियिम, 2006

मेन्स के लयि:

छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने **सैन्य स्टेशनों से नागरकि क्षेत्रों को अलग करने** और उन्हें संबंधति राज्यों में नगर पालकिाओं के साथ एकीकृत करने का नरि्णय लयिा है, जसिका उद्देश्य **छावनी क्षेत्रों की ब्रटिशि-युग की अवधारणा** में बदलाव लाना है।

- यह नरि्णय, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान स्थापति कई छावनी क्षेत्रों को प्रभावति करता है, **प्रशासनकि परदृिश्य** को नया आकार देने और **बेहतर नागरकि-सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लयि नरि्धारति है।**

भारत में छावनी प्रशासन का नयिंत्रण:

- **छावनी के वषिय में:**
  - सैन्य और नागरकि दोनों आबादी को मलिाकर **छावनयिाँ सैन्य स्टेशनों से भनि्न होती हैं,** जो पूरी तरह से सशस्त्र बलों के प्रशक्षिण तथा आवास के लयि होती हैं।
- **पृष्ठभूम:ि**
  - भारत में छावनी क्षेत्रों की उत्पत्त**ि औपनविेशकि युग में हुई थी जब ब्रटिशिों ने नयिंत्रण बनाए रखने** और अपने क्षेत्रीय हतिों को सुरक्षति करने के लयि सैन्य स्टेशनों की स्थापना की थी।
  - ये क्षेत्र वशिेष रूप से **सैन्य कर्मयिों के लयि आरक्षति थे और** नागरकि क्षेत्रों **से अलग शासति थे।**
  - समय के साथ **सैन्य और नागरकि क्षेत्रों के** बीच सीमांकन **से अलग-अलग समुदाय बन गए** तथा **उनके बीच बातचीत** सीमति हो गई।
- **छावनयिाँ और उनकी संरचना:**
  - क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर छावनयिों को चार श्रेणयिों में वर्गीकृत कयिा गया है - **श्रेणी- I से श्रेणी- IV तक।**
  - जबक**ि** श्रेणी- **I** छावनी में **आठ नरि्वाचति नागरकि और बोर्ड में आठ सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं, वहीं श्रेणी- IV छावनी में दो नरि्वाचति नागरकि और दो सरकारी/सैन्य सदस्य होते** हैं।
  - यह बोर्ड छावनी के प्रशासन के वभिनि्न पहलुओं के लयि ज़म्मिेदार है।
    - छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का **पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है और रक्षा संपदा संगठन का एक अधकिारी मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य-सचवि होता है।**
    - आधकिारकि प्रतनिधितिव को संतुलति करने के लयि बोर्ड में नरि्वाचति और नामांकति/पदेन सदस्यों का समान प्रतनिधितिव है।
- **प्रशासनकि नयिंत्रण:**
  - **रक्षा मंत्रालय** का एक अंतर-सेवा संगठन सीधे छावनी प्रशासन को नयिंत्रति करता है।
  - भारत के संवधिान की संघ सूची (अनुसूची VII) की**प्रवषि्टि 3 के अनुसार**, छावनयिों का **शहरी स्वशासन और उनमें आवास, भारत संघ का वषिय है।**
  - देश में **60 से अधकि छावनयिाँ** हैं जनि्हें छावनी अधनियिम, **1924 (छावनी अधनियिम, 2006 द्वारा**) के अंतर्गत अधसिूचति कयिा गया है।
- **नगर पालकिाओं के शहरी शासन की प्रशासनकि संरचना और वनियिमन:**
  - **केंद्रीय स्तर पर:** 'शहरी स्थानीय सरकार' का वषिय नम्निलखिति तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है:
    - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
    - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय।
    - केंद्रशासति प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय।

- राज्य स्तर पर:
    - **शहरी शासन संविधान के तहत राज्य सूची में शामिल है।** इस प्रकार **ULBs का प्रशासनिक ढाँचा और विनियमन राज्यों में भिन्न-भिन्न है।**
    - **संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में [शहरी स्थानीय निकायों (ULBs),](https://www.drishtiias.com/hindi) (नगर निगमों सहित)** की स्थापना का प्रावधान करता है।
        - इसने **राज्य सरकारों को इन निकायों को राजस्व एकत्र करने के लिये कुछ कार्य, अधिकार और शक्तियाँ सौंपने का अधिकार** दिया, तथा उनके लिये समय-समय पर चुनाव अनिवार्य कर दिया।
- **समस्याएँ:**
  - **छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने लंबे समय से विभिन्न प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों की शिकायत** की है और कहा है कि **छावनी बोर्ड उन्हें हल करने में विफल** रहे हैं।
    - निवासी नागरिकों का दावा है कि **छावनी बोर्ड उन समस्याओं का समाधान खोजने में विफल** रहे हैं जिनका वे दैनिक आधार पर सामना करते हैं, जैसे कि गृह ऋण तक पहुँच तथा मैदान के अंदर आवाजाही की स्वतंत्रता।

छावनी क्षेत्रों को अलग करने का महत्त्व:

- **नागरिक-सैन्य संबंधों को मज़बूत करना:** सैन्य स्टेशनों एवं नागरिक क्षेत्रों के पृथक्करण से सशस्त्र बलों तथा नागरिक आबादी के बीच बेहतर समझ के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- इससे आपसी विश्वास एवं सम्मान भी बढ़ेगा जिससे शांति और संकट के समय में सहज संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
- **स्थानीय शासन और नागरिक सुविधाएँ:** नागरिक क्षेत्रों को नगरपालिका शासन में एकीकृत करने से **नागरिक सुविधाओं और बुनियादी संरचना के विकास में सुधार** होगा। स्थानीय शासन के मामलों में निवासियों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप शहरी नियोजन और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर होंगी।
- **ऐतिहासिक विरासत और शहरी नियोजन:** अनेक छावनी कस्बों में औपनिवेशिक युग की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। यह निर्णय आधुनिक शहरी नियोजन को सुविधाजनक बनाते हुए इन क्षेत्रों के **ऐतिहासिक महत्त्व को संरक्षित** करने के बारे में प्रश्न उठा सकता है।
- **कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ:** छावनी कस्बे से एक नगर पालिका में परिवर्तन विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। सुचारु एवं कुशल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

डीमर्जर के कारण उत्पन्न चिंताएँ:

- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छावनियाँ समाप्त कर दी गईं तो इससे इन क्षेत्रों में **सेना के प्रशिक्षण एवं प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ेगा तथा **सुरक्षा के लिये भी खतरा** उत्पन्न हो जाएगा।

आगे की राह

- छावनी कस्बों में **नागरिक क्षेत्रों से सैन्य स्टेशनों को अलग करने** का सरकार का निर्णय प्रशासन में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है जिसका उद्देश्य सैन्य और नागरिक समुदायों के बीच की दूरी को कम कर सकता है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](https://www.drishtiias.com/hindi)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transforming-cantonment-towns